



2026: AHC : 43397

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1221/2026

उदय भान सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अभिषेक कृष्णा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं, जिसमें प्रार्थना की गई है कि: (i) 'उत्प्रेषण लेख' की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी कर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित विवादित स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.12.2025 को रद्द किया जाए, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को बांदा जिले में उसकी वर्तमान तैनाती के स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नरैनी, जिला बांदा में स्थानांतरित कर दिया गया है; (ii) 'परमादेश' की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी कर प्रतिवादीगण को विवादित स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.12.2025 को प्रभावी करने या उस पर कार्रवाई करने से रोका जाए; (iii) 'परमादेश' की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी कर प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 19.01.2026 पर निष्पक्ष, तर्कसंगत और समयबद्ध तरीके से विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए; (iv) कोई अन्य और आगे का आदेश जारी किया जाए, जैसा कि यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे; (v) अंतर्निहित तकनीकी दोष के कारण याचिकाकर्ता को रिट याचिका का खर्च दिलाया जाए। इसे नए सिरे से दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की मांग की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. वर्तमान याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

25 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।